कोविड–19

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक : 27.02.2021

आदेश

विषय :– निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गाईडलाईन्स दिनांक (1 मार्च, 2021 से 31 मार्च, 2021) अवधि तक के सम्बन्ध में।

संक्रमण की रोकथाम एवं इन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार (MHA) के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डीएम–I(ए) दिनांक 27 जनवरी, 2021 को जारी किये गये दिशा–निर्देशों को 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

तदनुसार, राज्य में कोविड–19 के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01 फरवरी, 2021 को कोविड–19 की निगरानी, नियत्रण और सावधानी के लिए जारी दिशा–निर्देशों को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए बढाने का निर्णय लिया गया है। उक्त जारी दिशा–निर्देशों की सभी सम्बन्धित द्वारा कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाई जायेगी।

साथ ही विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 फरवरी, 2021 के अनुसार महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावे :–

- महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 26.02.2021 की पालना सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
- एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 26.02.2021 की पालना सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

- समस्त सीमावर्ती जिला कलक्टर्स द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 26.02.2021 की पालना सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
- यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी प्रकार के कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर RT-PCR जांच कराना अनिवार्य होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक / निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल / होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
13. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. जनरल मैनेजर, उत्तर–पश्चित रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह

Scanned with CamScanner